P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

क"मीर–समस्या के सन्दर्भ में भारत–पाकिस्तान के मध्य भान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयासों की प्रमुख कड़ी के रूप में 'ि"मला–समझौता' – एक विम"ा

सीमा चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
जे0वी0 जैन कॉलेज,
सहारनपुर, भारत

सारांश

बांग्लादे"ा के प्रश्न पर 3 दिसम्बर 1971 को आरंभ तीसरे भारत–पाक युद्ध की मात्र चौदह दिनों के भीतर समाप्ति के पश्चात्, पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या के समाधान के प्रयासों का परिणाम था – ि"मला समझौता। इस समझौते के पीछे भारत का उद्देश्य, अनाक्रमण सन्धि द्वारा दोनों ओर से सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का निश्चय था। 3 जुलाई 1972 को सम्पन्न इस समझौते की सर्वप्रमुख बात यही थी कि इस समझौते में पहली बार पाकिस्तान के राष्टपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान की आपसी समस्याओं का हल युद्ध नहीं है। पाकिस्तान ने पहली बार इस समझौते में भारत के साथ अनाक्रमण सन्धि की, समझौते में स्पष्ट कहा गया कि दोनों दे"ा एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता या राजनैतिक स्वतंत्रता के खिलाफ हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। परन्तु वास्तविकता यह थी कि पाकिस्तान को इस समझौते में दिलचस्पी अपने दे"ा और अपने लोगों को लेकर थी, जैसे ही वह वापस मिली, उन्होंने, ि"मला समझौते को महत्त्व देना छाड़ दिया। वस्तुतः ताशकंद समझौते में की गयी भूल को दोहराते हुए, भारत ने ि"मला–समझौते में भी अपनी शर्तों पर क"मीर–समस्या का समाधान ढूँढने का अवसर तो खोया ही, साथ ही पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना में भी असफल रहा।

मुख्य शब्द : प्रत्यक्ष वार्ता, अनाक्रमण सन्धि, अतिक्रमण, प्रादेशिक अखण्डता, नियंत्रण रेखा, अनुलंघनीयता।

प्रस्तावना

1965 के भारत–पाक युद्ध के बाद हुए ताषकन्द समझौते के पश्चात् भारत और पाकिस्तान सहित वि"व की शान्तिप्रिय जनता में यह आशा जगी थी कि दोनों दे"ाों के बीच तनाव खत्म होकर अब सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे। परन्तु शीघ्र ही यह आशा, निराशा में बदल गयी और दिसम्बर 1971 में पुनः बांग्लादे"ा के प्रश्न पर भारत–पाक युद्ध आरम्भ हो गया, जिसकी पहल 1947 और 1965 की तरह एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से हुइ। यह युद्ध बांग्लादे"ा के साथ–साथ क"मीर के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत द्वारा इस आक्रमण के मुँहतोड़ जवाब ने पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और मात्र 14 दिनों के भीतर, 17 दिसम्बर 1971 को तीसरे भारत–पाक युद्ध की समाप्ति हुई।[1] परन्तु अभी भी पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या भारत के सामने शेष थी। इस समस्या के समाधान के प्रयासों का ही परिणाम था – 'ि"मला–समझौता', जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी और पाकिस्तान में याहया खाँ के सैनिक शासन के अन्त के बाद 20 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान के राष्टपति का पदभार संभालने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच चली 5 दिवसीय वार्ता के बाद 3 जुलाई 1972 को ि"मला में दोनों के हस्ताक्षर के साथ सम्पन्न हुआ। इन वार्ताओं से ि"मला समझौते के रूप में जो हल निकला, उसे आज भी भारत–पाकिस्तान रिश्तों का आधार माना जाता है।

अध्ययन का उद्दे"य

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रथम उद्दे"य तीसरे भारत–पाक युद्ध की समाप्ति के पश्चात्, f"imla समझौते की पृष्ठभूमि के रूप में, विशेष रूप से क"मीर–समस्या के सन्दर्भ में पाकिस्तान के साथ एक स्थायी शान्ति बनाये रखने के उद्दे"य से एक अनाक्रमण सन्धि सम्पन्न करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। साथ ही इसी उद्दे"य की परिणति के रूप में 3 जुलाई, 1972 को दोनों दे"ाों के बीच सम्पन्न f"imla–समझौते पर विभिन्न राष्टों, राष्टोय–अन्तर्राष्टोय समाचार पत्रों और भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा पक्ष और विपक्ष में दी गयी प्रतिक्रियाओं के आलोक में समझौते के विभिन्न पक्षों की समीक्षा करते हुए इसकी सार्थकता और निरर्थकता को स्पष्ट करना प्रमुख उद्दे"य है।

साहित्यावलोकन

f"imla–समझौता क"मीर–समस्या के सन्दर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी शान्ति की स्थापना के प्रयासों का परिणाम था। प्रस्तुत शोध–पत्र में इसी दृष्टिकोण को केन्द्र में रखकर f"imla समझौते की समीक्षा की गयी है। यह समीक्षा, भारत के विभिन्न राजनैतिक दलो तथा विभिन्न राष्टों की तत्कालीन प्रतिक्रियाओं, तत्कालीन विभिन्न राष्टोय–अन्तर्राष्टोय समाचार–पत्रों की प्रतिक्रियाओं तथा अन्य सन्दर्भ साहित्य पर आधारित है।

f"imla समझौते की पृश्ठभूमि

14 फरवरी 1972 को भारत ने संयुक्त राष्ट के सैक्रेटरी जनरल को लिखे अपने पत्र में पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त, किसी भी स्तर पर और बिना पूर्व 'ार्तों के प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव रखा।[2] भारत ने प्रारम्भ से ही यह प्रकट कर दिया था कि वह भारत–पाक के बीच किसी भी शान्तिपूर्ण समझौते में (विशेषकर क"मीर मुद्दे को लेकर) किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के विरुद्ध है। दूसरी तरफ भुट्टो का कहना था कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना पाकिस्तान का काम नहीं है, इस अधिकार के लिए लड़ना कश्मीरियों का काम है।

भारत ने शान्ति–सन्धि के लिए पहल की क्योंकि वह क"मीर–समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता द्वारा करना चाहता था। परन्तु दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्टपति यह प्रयास कर रहे थे कि समझौते में किसी बड़ी शक्ति का दबाव भारत पर हो ताकि भारत ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जिस बड़े भू–भाग पर अधिकार कर लिया था, वह उसे वापस मिल जाये और युद्धबन्दियों को भी कोई कानूनी रूप दिए बिना वापस कर दिया जाये। इसी कारण वह चीन, अमेरिका और सोवियत संघ की यात्रा पर गये। परन्तु श्रीमती गाँधी सहित भारतीय नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि 'सीमा–रेखा और युद्ध–विराम रेखा' में अन्तर होता है। युद्ध–विराम रेखा हर युद्ध के बाद बदल जाती है। अब जबकि पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण कर दिया तो ताशकंद समझौते के परिणामस्वरूप क"मीर में खींची गयी युद्ध–विराम रेखा भी स्वतः समाप्त हो गयी।

इन सारी कठिनाइयों के बावजूद 14 अप्रैल 1972 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकसभा में यह घेषणाकी कि दोनों राष्ट सहयोग और मित्रता की भावना से संधि वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा, "युद्ध की विजय से शान्ति की विजय महान है।"[3] इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के राष्टपति भुट्टो भी वक्तव्य दे रहे थे कि 'दोनों दे"ाों के बीच बेहतर सम्बन्धों के लिए एक–दूसरे पर भरोसा पैदा करना होगा। हमारी तरफ से हम भरोसा देने के लिए तैयार हैं।'[4] परन्तु दूसरी ओर एक अमेरिकी प्रसारण में उन्होंने इसके विपरीत एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "यदि भारत ने पाकिस्तान पर असमान सन्धि थोपने की कोशिश की तो उस हालात में सम्पूर्ण पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए शस्त्रागार बन जायेगा।"[5]

अन्ततः भुट्टो वार्ता के लिए तैयार हुए। 28 जून 1972 से 3 जुलाई 1972 तक पाकिस्तान के राष्टपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के बीच चली वार्ता के पश्चात् 3 जुलाई 1972 को f"imla में दोनों नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। 4 अगस्त 1972 को दोनों दे"ाों पर यह समझौता लागू हो गया।[6]

f"imla समझौते की मुख्य धाराएँ

इस समझौते के महत्वपूर्ण अंष निम्न हैं –

1. भारत व पाकिस्तान की सरकारों का संकल्प है कि वे दोनों दे"ाों के बीच अब तक चले आ रहे विवादों को खत्म करके पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने व उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए काम करेंगी ताकि दोनों दे"ा अपने साधनों एवं शक्तिका उपयोग अपनी जनता के हित में कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारें इन बातों पर सहमत हैं कि–

क) संयुक्त राष्ट की घेषणा के अनुसार दोनों राष्ट एक–दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे तथा एक–दूसरे की सोमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे व राजनैतिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

ख) दोनों दे"ाों का संकल्प है कि वे अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण उपायों से जिनके बारे में दोनों दे"ाों की सहमति हो गयी हो, हल करेंगे। जब तक दोनों दे"ाों की समस्या का अन्तिम हल न निकले, कोई भी एक पक्ष स्थिति को नहीं बदलेगा और दोनों दे"ा इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई काम न हो जिससे शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को क्षति पहुँचे।

ग) दोनों राष्ट हमेशा एक–दूसरे की राष्टोय एकता, प्रादशिक अखण्डता, राजनैतिक स्वतंत्रता और सम्प्रभुता का सम्मान करेंगे।

घ) जब दोनों राष्टों को अपनी प्रादेशिक अखण्डता और राजनैतिक स्वतन्त्रता का भय उत्पन्न हो तो संयुक्त राष्ट के चार्टर के अनुसार दोनों एक–दूसरे के विरुद्ध सेना का प्रयोग कर सकते हैं।

ङ) समझौते की मुख्य धारा यह थी कि पिछले 25 व"ाों से दोनों राष्टों के जो सम्बन्ध बिगड़े हुए थे, उन्हें शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करने का निश्चय करेंगे।

2. दोनों ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक–दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगी। दोनों

राष्ट उन सभी समाचारों को प्रोत्साहन देंगे जिनके माध्यम से आपसी सम्बन्धों में सुधार की आशा हो।

3. दोनों राष्ट आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दृष्टि से कदम उठायेंगे। इस सम्बन्ध में दोनों राष्ट – अ) दोनों दे"ाों के मध्य डाक–तार सेवा, जल–थल मार्गों द्वारा संचार व्यवस्था पुनः स्थापित करने, ब) दोनों दे"ाों के नागरिकों को आने–जाने की सुविधाएँ देने, स) व्यापारिक व आर्थिक मामलों में सहयोग के सिलसिले को जल्दी शुरू करने और द) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान–प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए।
4. स्थायी शान्ति कायम रखने की प्रक्रिया का सिलसिला आरम्भ करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं कि – क) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ अपनी अन्तर्राष्टोय सीमा में लौट जाएँगी।
   ख) दोनों दे"ा बिना एक–दूसरे की स्थिति को क्षति पहुँचाए जम्मू–क"मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को हुए युद्ध–विराम (रेखा) को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्य रखेंगे।
   ग) समझौते के 20 दिन के अन्दर सेनाएँ अपनी–अपनी सीमा में पीछे चली जाएँगी।
5. दोनों दे"ाों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके राष्टाध्यक्षों की भविष्य में फिर बैठक होगी और ऐसे अवसर पर होगी जो दोनों के लिए सुविधाजनक हो। इस बीच दोनों दे"ाों के प्रतिनिधि स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए आवश्यक प्रबन्धों पर विचार–विमर्श करेंगे। इनमें युद्ध–बन्दियों एवं नागरिकों की वापसी, जम्मू–क"मीर के अन्तिम हल व राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न ाामिल हैं।

f"ाामला–समझौते में युद्ध–बन्दियों पर कोई फैसला नहीं हो सका था। अतः 28 अगस्त 1973 को भारत–पाक के बीच में इस सम्बन्ध में एक और समझौता हुआ, जिसके अनुसार 1 मई 1974 तक युद्ध बन्दियों को वापस लौटाने का कार्य पूरा हुआ।

एल0ओ0सी0 (नियंत्रण रेखा)

3 जुलाई 1972 को दोनों राष्टों के मध्य वास्तविक समझौता यह था कि 17 दिसम्बर 1971 की तथाकथित युद्ध–विराम रेखा का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा (एल0ओ0सी0) रखा जाये और इसे दो दे"ाों के बीच अन्तर्राष्टोय सीमा रेखा मानना निश्चित हो।[7] नियंत्रण रेखा की व्याख्या में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 अगस्त 1972 से 11 दिसम्बर 1972 तक दस बैठकें हुयीं। सुचेतगढ़ (जम्मू) में अन्तिम और दसवीं बैठक में भारत की ओर से सैनिक कमाण्डर लै0 जनरल पी0एस0 भगत और पाकिस्तान की ओर से सैनिक कमाण्डर लै0 जनरल अब्दुल हमीद खाँ ने नियंत्रण रेखा से सम्बन्धित मानचित्रों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर उनका आदान–प्रदान किया।[8]

'दोनों पक्षों द्वारा संपुष्ट (हस्ताक्षरित) और उनकी संसदों द्वारा मान्य 'f"ाामला–समझौता' नियंत्रण रेखा की पूर्ण अनुलंघनीयता पर प्रकाश डालता है। दोनों पक्षों में से कोई भी किसी भी रूप में यहाँ तक कि इसे ग्राउण्ड पर ट्रांसक्राइब करने के बहाने के तहत् भी इसको बदलने के लिए सेना के प्रयोग या इसी प्रकार की अन्य कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसको बदलने या स्पष्ट करने का एकमात्र रास्ता दोनों पक्षों क बीच समझौते या अन्य शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा जिस पर दोनों दे"ाों की आम सहमती हो, निकाला जा सकता है।'[9]

f"ाामला समझौते पर उस समय की गई प्रतिक्रियाएँ और विश्लेषण

श्रीमती गाँधी और भुट्टो के बीच f"ाामला में हुए सम्मेलन से पूर्व किसी को भी यह गलतफहमी नहीं थी कि इस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। केवल यही उम्मीद की गई थी कि शिखर सम्मेलन से दोनों दे"ाों के सम्बन्धों में एक नये युग का सूत्रपात होगा, और वही हुआ। इस सम्मेलन में यद्यपि सभी समस्याएँ हल नहीं हो पाई किन्तु कुल मिलाकर इस प्रथम भारत–पाकिस्तान शिखर वार्ता के परिणाम महत्वपूर्ण थे।

भारत और पाकिस्तान में f"ाामला समझौते पर मिली–जुली प्रतिक्रिया थी। 31 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकसभा में एक वक्तव्य में कहा, ".... मैं यह नहीं कहती कि पाकिस्तान को f"ाामला समझौते के लिए तैयार करना असम्भव था, पर यह कठिन अवश्य था क्योंकि पाकिस्तान हमारे बिल्कुल विपरीत था। ..... यह एक भिन्न स्थिति थी, हम न पाकिस्तान से डरे और न ही अन्य किसी से हमें इस उपमहाद्वीप और एशिया में तनाव को कम करने के लिए समझौते को सम्पन्न कराने में रुचि थी।"[10]

पक्ष में प्रतिक्रियाएँ

भारत के तत्कालीन विदे"ा मंत्री ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ".....यह समझौता सम्प्रभुता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी ईमानदारी से इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। पिछले 25 सालों का अनुभव यह बताता है कि भारत–पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न समस्याओं का समाधान किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप से हुआ, लेकिन इस बार दोनों पक्षों ने ही समझौता किया।....."[11]

समाजवादी पार्टी के संयुक्त सचिव सुरेन्द्र मोहन ने समझौते के पक्ष में कहा कि 'यह समझौता भारत–पाकिस्तान के मध्य सभी झगड़ों को द्विपक्षीय और शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का एक प्रयास है।'[12]

श्री समर मुखर्जी ने कहा कि '..... दोनों राष्टों के विकास के लिए, वहाँ के मनुष्यों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए तथा क"मीर–विवाद को हल करने के लिए यह समझौता सार्थक सिद्ध होगा।'[13]

जम्मू–क"मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने इसके विषय में कहा कि 'दोनों' दे"ाों ने युनाइटेड नेशन के चार्टर में वि"वास रखते हुए सभी झगड़े तय किये', साथ ही कहा कि 'क"मीर–विवाद के वि"ाय में किया समझौता क"मीर की जनता को वि"वास में लिये बिना बेकार है।'[14]

भारत के साथ–साथ अन्य राष्टों ने भी f"ाामला समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिका ने इसे 'दक्षिण एशिया में स्थायी शान्ति की दिशा में महत्वपूर्ण

कदम बताया'। ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को 'भारत–पाक के मध्य मित्रता के सम्बन्धों को स्थापित करने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम बताया'। संयुक्त राष्ट ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया।[15]

पाकिस्तान के तत्कालीन मानव संसाधन मन्त्री हयात मौहम्मद शेरपाओ ने कहा कि 'समझौता दोनों राष्टों के विकास के लिए नया रास्ता खोलता है।'[16]

विरोध में प्रतिक्रियाएँ

f"imla–समझौते के सम्बन्ध में भारत के कई विपक्षी दलों ने विरोध में प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। तत्कालीन जनसंघी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने f"imla समझौते की आलोचना करते हुए कहा – ".... f"imla में क"मीर का मामला हल होना तो अलग रहा, नये सिरे से खोल दिया गया। ..... आज तक पाकिस्तान का इतिहास समझौते के उल्लंघन का इतिहास है। हमें f"imla में केवल समझौता नहीं चाहिए था। हमें ठोस चीजें चाहिए थीं जिसे प्राप्त करने में हमारी सरकार असफल रही। ..... इस समझौते से पाकिस्तान को हारी हुई ज़मीन वापस मिल गयी, कैदी वापस मिल जायेंगे, क"मीर पर हायतौबा करने का रास्ता खुल गया और क्या चाहिए पाकिस्तान को।"[17]

समझौते के चौथे भाग की आलोचना करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि '.....समझौते के अनुसार भारत को पाकिस्तान की 5000 वर्ग मील भूमि खाली करनी पड़ेगी जबकि पाकिस्तान क"मीर में भारत की 30 हजार वर्गमील भूमि पर अपना अवैध कब्जा यथापूर्व कायम रखेगा। यह भारत के जवानों द्वारा किए गए बलिदानो के साथ वि"वासघात है।'[18]

तत्कालीन किसान दल के नेता श्री चरण सिंह ने भी वाजपेयी जी से सहमत होते हुए कहा कि 'भुट्टो भारत में दो मुख्य उद्दे"य लेकर आए। पहला बिना किसी क्षतिपूर्ति के पाकिस्तानी सैनिकों की भारत से वापसी तथा दूसरा जम्मू–क"मीर में युद्ध–विराम रेखा जो वर्तमान में है, वही रहे। भुट्टो ने दोनों उद्दे"य पूरे किए। पिछले 23 सालों के अनुभव से यह साफ जाहिर होता है कि भारत के लिए जगह की क्या कीमत है।'[19] तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने इस समझौते के विषय में कहा कि दोनों दे"ाों की समस्याएँ एक सम्मेलन से तय नहीं हो सकती।

विभिन्न राश्टों के समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया

4 जुलाई 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में लिखा गया कि 'इस समझौते से न तो पाकिस्तान कुछ प्राप्त कर सका और न भारत को कोई नुकसान हुआ।'

इस सम्बन्ध में अमेरिकन समाचार पत्र 'ब्लेटमोरसन' ने कहा कि 'यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तथा स्थायी शान्ति की प्राप्ति के लिए भारत व पाकिस्तान ने बिना किसी तीसरे राष्ट की मदद के यह समझौता किया।'

पाकिस्तान के समाचार पत्र 'डॉन' के चीफ एडिटर मजहर अली खाँ ने कराची में कहा कि 'f"imla में हुआ समझौता भारत और पाकिस्तान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।'[20]

श्रीलंका के अंग्रेजी समाचार पत्र 'डेली न्यूज' ने कहा कि 'इस समझौते से न केवल दोनों राष्टों के आपसी सम्बन्ध बढ़ेंगे और आर्थिक विकास होगा, बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र (उपमहाद्वीप) का विकास होगा।' सोवियत समाचार पत्र 'इजेवस्ता' ने कहा कि इस समझौते से अन्य राष्ट मित्रता और शान्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। बैंकाक के समाचार पत्र 'नेशन' ने इस विषय पर कहा कि 'इस वर्ष का नोबेल शान्ति पुरस्कार भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी और पाकिस्तान के राष्टपति भुट्टो को प्राप्त होना चाहिए क्योंकि उन्होंने असम्भव को भी सम्भव कर दिखाया।'[21]

निश्कर्श

भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों के निर्धारण के विषय में वास्तविकता यह है कि भारत शुरू से ही पाकिस्तान के समक्ष यह प्रस्ताव रखता रहा कि दोनों दे"ा अनाक्रमण सन्धि करके सभी विवादों को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने का निश्चय करें। लेकिन लियाकत अली से लेकर याहया खाँ तक पाकिस्तान के नेता अनाक्रमण सन्धि को अस्वीकार करके यह कहते रहे कि जब तक क"मीर का हल नहीं निकल जाता तब तक वे हथियारों के प्रयोग के अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकते। पहली बार पाकिस्तानी राष्टपति भुट्टो ने f"imla–समझौते में यह स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान की समस्याओं का हल युद्ध नहीं है। यद्यपि यह भी सत्य है कि भुट्टो ने विवशता म ही अवसर के अनुकूल इस बात को स्वीकार किया था। परन्तु फिर भी भुट्टो द्वारा इस बात पर सहमत होना भारत–पाक सम्बन्धों में एक नया मोड़ था।

f"imla समझौते की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस समझोते की भावना को देखकर यह नहीं माना जा सकता कि किसी एक पक्ष ने सब कुछ खो दिया और दूसरे ने सब कुछ पा लिया। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस समझौते से निश्चित रूप से पाकिस्तान को कुछ लाभ हुआ। f"imla–समझौते से भुट्टो इसलिए संतुष्ट हो गये थे क्योंकि पराजय के बाद भी उन्हें भारत से युद्ध में खोयी लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वापस मिल गयी और क"मीर की 30 हजार वर्गमील भूमि पर अवैध कब्जा भी बना रहा, जिसे पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में क"मीर पर आक्रमण करके हस्तगत किया था। उन्हें अपने युद्धबन्दी वापस मिल गये और पूर्वी पाकिस्तान के अतिरिक्त कोई प्रादेशिक हानि नहीं हुई, इसीलिए f"imla से लौटने के पश्चात् जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह कहा कि 'मैंने पाकिस्तान के लिए वह कार्य कर दिखाया जो अरब दे"ा इस्राइल से न करवा सके।'

f"imla समझौते की दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत के साथ अनाक्रमण सन्धि की। समझौते में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों दे"ा एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता या राजनैतिक स्वतंत्रता के खिलाफ न तो हथियारों के प्रयोग की धमकी देंगे और न हथियार प्रयोग करेंगे। परन्तु वास्तविकता यह थी कि पाकिस्तान को इस समझौते में दिलचस्पी अपनी ज़मीन और अपने लोगों को लेकर थी, जैसे ही वह वापस मिली उन्होंने f"imla समझौते को महत्व देना ही छोड़ दिया, और शीघ्र ही उसने अपने पुराने तरीके अपनाने शुरूकर दिये। तब से आज तक पाकिस्तान अनेक बार क"मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर चुका है।

सच्चाई यह है कि जब से यह समझौता हुआ, पाकिस्तान कई बार समझौते का उल्लंघन कर चुका है। इस समझौते के मूल सिद्धांत कि 'भारत–पाकिस्तान के सभी विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निबटाया जायेगा' – को बार–बार दोहराया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने क"मीर–मुद्दे को हर अन्तर्राष्टोय मंच पर उठाने का प्रयास किया है। वस्तुतः 1947 से 1971 तक क"मीर को पाने के लिए कई बार पाकिस्तान की छल और कपटपूर्ण प्रवृत्ति को देखने के बाद भी यह वि"वास करना कि पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता द्वारा मतभेदों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा, मात्र अपने को धोखे में रखना था। इस समझौते में भारत को स्पष्ट करना चाहिए था कि जम्मू–क"मीर भारत का अभिन्न अंग है, विवाद का विषय क"मीर का वह हिस्सा है जिस पर 1947–48 के आक्रमण में पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया था। परन्तु भारत ने ऐसा नहीं किया। ताशकंद समझौते में की गयी भूल को दोहरात हुए भारत ने इस बार भी अपनी शर्तों पर क"मीर विवाद का समाधान ढूंढने का अवसर तो खोया ही, साथ ही पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना में भी वह असफल रहा।

अंत टिप्पणी

1. *वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा : भारत की विदे"ा नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1997, पृष्ठ 115*
2. *पी.एन. के. बम्जई : हिस्ट्री ऑफ काश्मीर, मैट्रोपोलिटन, 1973, पृष्ठ 830*
3. *लोकसभा डिबेट्स, वाल्यूम ग्प्, 4 अप्रैल, 1972*
4. *उद्धृत – द स्टेट्समैन, नई दिल्ली, 22 मई, 1972*
5. *उद्धृत – धर्मयुग, 26 मई 1972*
6. *पी.एन. के बम्जई : हिस्ट्री ऑफ काश्मीर, मैट्रोपोलिटन, दिल्ली, 1973, पृष्ठ 831*
7. *आर.एन. शर्मा, आर. के. शर्मा, वाई.के. शर्मा : कारगिल वार – सागा ऑफ पैट्रोटिज्म, शुब्बी पब्लिकेशन, दिल्ली, 2000, पृष्ठ 412*
8. *वही, पृष्ठ 410*
9. *वी.एस. मणि के 30 जून 1999 को 'हिन्दु' में प्रकाशित लेख से उद्धृत।*
10. *लोकसभा डिबेट्स : 31 जुलाई 1972, वाल्यू ग्टप्प् नई दिल्ली, पृष्ठ 304–310*
11. *लोकसभा डिबेट्स : 31 जुलाई 1972, वाल्यू ग्टप्प् नई दिल्ली, पृष्ठ 247*
12. *उद्धृत, मदरलैण्ड, नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1972*
13. *उद्धृत, टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1972*
14. *उद्धृत, हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 जुलाई, 1972*
15. *इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1972*
16. *उद्धृत, हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, कलकत्ता, 4 जुलाई, 1972*
17. *लोकसभा डिबेट्स : 31 जुलाई 1972, वॉल्यूम ग्टप्प् नई दिल्ली, पृष्ठ 272–275*
18. *उद्धृत, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1972, पृष्ठ–1, कॉलम–6*
19. *उद्धृत, मदरलैण्ड, नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1972*
20. *उद्धृत, हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, कलकत्ता, 4 जुलाई, 1972*
21. *उद्धृत, पैट्रियट, नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1972*